

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो,

<u>उल्लघन पत्र</u> रजि. ए.डी. /स्पीड पोस्ट / ई–मेल /फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर, पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र0- छ0ग0 / कवर्धा / बॉक्साईड-2 / रायपुर

07 छ0ग0 09002

दिनांक :- 02/04/2019

प्रति,

श्री विकास शर्मा, सी0ई0ओ0, होल टाईम निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर सर्वश्री भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, पोस्ट— बाल्को नगर, , जिला — कोरबा, छत्तीसगढ — 495684

गणला यगरवा, उरतारा गण्

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम (कवर्धा) जिले में स्थित आपकी बोदाई दलदली बॉक्साइड खदान क्षेत्रफल 626.117 हे0 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 12/03/2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री पंकज महंता, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide
` ′	KABIRDHAM/BXT/MPLN-1121/2017-Raipur dated 17/11/2017 for the period of 2017-18 to 2020-
	21:
	Development: In addition to the area proposed in the approved Modified Mining Plan for
	development and production of mineral/ore, some other places within lease area have been observed
	where the development and production of mineral/ore is being done without any proposal:
	F.Y. 2017-18:
	(i) In between UTM co-ordinates N2486000-2486200 & E519800-519950, N2481850-2482200 &
	E519300-519500, N2485500-2486200 & E519800-520200 and N2485450-2485500 & E519650-
	519750 wherein mineral has been mined out and the area has been backfilled concurrently.
	(ii) In between UTM co-ordinates N2484750-2484850 & E519750-519950 wherein working quarry
	has been extended from the proposed location towards southern side of the lease area.
	F.Y. 2018-19:
	(i) In between UTM co-ordinates N2481500-2481700 & E519150-519250, and N284550-284850 &
	E519150-519600 wherein mineral has been mined out and the area has been backfilled concurrently.
	(ii) In between UTM co-ordinates N2483450-2483700 and E519600-519650 where the mineral
	excavation is being done without any approved proposal.
	Reclamation/Backfilling: Backfilling and reclamation have not been done completely:
	F.Y. 2017-18: In between UTM co-ordinates N2484850-2485150 & E519500-520000
	F.Y. 2018-19: In between UTM co-ordinates N2484450-2484850 & E519250-519800
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted the year 2017-
	18.
Rule 45	Annual return for F.Y. 2017-18: An amount of DMF and NMET have been added or not or for
11410	computation of the cost of production is not clear.
(7)	computation of the cost of production is not clear.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ हेतु :-

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
- 2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3. श्री राजेश मिश्रा, खान एजेन्ट, मांईन्स एवं जियोलॉजी विभाग, अभियांत्रिकी भवन, बाल्को नगर, कोरबा, जिला— कोरबा (छत्तीसगढ़), पिन—495684

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर